सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

माननीय प्रबन्ध परिषद की 58वीं बैठक दिनाँक 21 अक्टूबर, 2024 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 58वीं बैठक दिनाँक 21 अक्टूबर, 2024 को पूर्वान्ह 11:30 बजे से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् रही है:–

1. डा० के०के० सिंह, कुलपति — अध्यक्ष
2. श्री राजीव कुमार सिंह, मा० विधायक — सदस्य
3. श्री रफीक अंसारी, मा० विधायक — सदस्य
4. श्री अनुराग यादव, सचिव, — सदस्य
   कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
   (ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)
5. डा० सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक, आई०सी०ए०आर०, नई दिल्ली। — सदस्य
6. डा० सुधांशु सिंह, कृषि वैज्ञानिक
   (ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)
7. श्री देवव्रत त्यागी, प्रगतिशील कृषक — सदस्य
8. श्री अतुल कुमार सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, — सदस्य
   मेरठ मण्डल, मेरठ।
   (अपर मुख्य सचिव वित्त, उ०प्र० के प्रतिनिधि)
9. डा० मोनिका सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ — सदस्य
   (अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० के प्रतिनिधि)
   (ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)
10. डा० अशोक कुमार, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ — सदस्य
    (निदेशक कृषि, उ०प्र० के प्रतिनिधि)
11. डा० राजेन्द्र कुमार शर्मा, अपर निदेशक, पशुपालन, — सदस्य
    मेरठ मण्डल, मेरठ (निदेशक पशुपालन, उ०प्र० के प्रतिनिधि)
    (ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)
12. श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी, वित्त नियंत्रक — सचिव

कुलपति
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स०व०प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

मा0 प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं वित्त नियन्त्रक, सदस्य सचिव द्वारा विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद के मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

प्रस्ताव संख्या 58.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 56वीं बैठक दिनाँक 02 सितम्बर, 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 56वीं बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 58.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 56वीं बैठक दिनाँक 02 सितम्बर, 2024 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 56वीं बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2024 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 58.3 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 57वीं (विशेष) बैठक दिनाँक 05 अक्टूबर, 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 57वीं (विशेष) बैठक दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 58.4 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 57वीं (विशेष) बैठक दिनाँक 05 अक्टूबर, 2024 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 57वीं (विशेष) बैठक दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

कुलपति
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स०व०प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

प्रस्ताव संख्या 58.5 : तकनीकी महाविद्यालय एवं कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महाविद्यालय के पदों पर हुये साक्षात्कार के लिफाफे खोले जाने की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव।

मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या–II/2023, विज्ञापन संख्या–III/2023 तथा विज्ञापन संख्या–IV/2023 द्वारा प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक के क्रमशः 29, 29 तथा 54 पद विज्ञापित किये गये थे। पदों हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 18.10.2023 निर्धारित की गयी थी। आवेदन करने की तिथि में पुनः विस्तार करते हुए आवेदकों को आवेदन हेतु दिनांक 03.11.2023 तक का समय प्रदान किया गया। विज्ञापित पदों में सहायक प्राध्यापक के कुल 54 पदों में से 22 अनारक्षित, 05 ई0डब्ल्यू0एस0, 14 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 13 पद अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु निर्धारित थे। सह–प्राध्यापक के 29 पदों में से 12 अनारक्षित, 02 ई0डब्ल्यू0एस0, 09 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 06 पद अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु विज्ञापित किये गये थे। प्राध्यापक के कुल 29 पदों में से 12 अनारक्षित, 02 ई0डब्ल्यू0एस0, 09 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 06 पद अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए निर्धारित किये गये थे।

प्रस्ताव के संदर्भ में प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के प्रतिनिधि के रूप में सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा बैठक में प्रतिभाग करते हुए अभिमत दिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अध्ययन में पाया गया कि **पूर्व निर्गत रोस्टर में जो संशोधन किया गया है, उपरोक्त के आधार के विषय में यह संज्ञान में लाया गया कि पूर्व निर्गत रोस्टर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार था, जबकि शासनादेश के अनुसार उपरोक्त को हिन्दी वर्णमाला के अनुक्रम में व्यवस्थित करते हुए लागू करना था।** अतएव

कुलपति
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स०व०प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

उपरोक्त के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा रोस्टर के संशोधन किये जाने के औचित्य को उपर्युक्त पाया गया। उनके द्वारा विश्वविद्यालय में चयन प्रक्रिया में प्रख्यापित मा0 राज्यपाल के दिशा–निदेशों / आई0सी0ए0आर0 / यू0जी0सी0 के मानकों के पालन के सम्बन्ध में आख्या को कार्यवृत्त में सम्मिलित करने हेतु कहा गया तथा NFS रहने वाले अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा विस्तार से अवगत कराया गया कि आरक्षण रोस्टर का निर्धारण शासनादेश–2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार विभागों के नामों का हिन्दी अनुवाद करने के पश्चात उन्हें हिन्दी वर्णमाला के आरोही क्रम (अ–आ–इ–ई...) के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात 100 बिन्दुओं के आरक्षण रोस्टर में रखा गया था। विभागों के नामों का हिन्दी अनुवाद राजभाषा आयोग, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग तथा विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों के विभागों के हिन्दी नामों को आधार मानते हुए किया गया। तद्नुसार निर्धारित आरक्षण रोस्टर को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशित करते हुए इससे सम्बन्धित आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कुल 07 दिनों का समय दिया गया। तद्नुसार प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए संशोधित आरक्षण रोस्टर पुनः विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशित किया गया था। आरक्षण रोस्टर के निर्धारण के पश्चात मा0 राज्यपाल द्वारा सहायक प्राध्यापक / सह–प्राध्यापक / प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु निर्गत दिशा–निर्देश दिनांक 18.05.2021 तथा सह–पठित आदेश दिनांक 02.07.2021 तथा दिनांक 22.05. 2022 तथा उक्त आदेशों में मा0 राज्यपाल कार्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत संशोधनों के अनुसार कार्यवाही करते हुए चयन प्रक्रिया पूर्ण की गयी।

कुलपति
स0 व0 भा0 प0 कृषि एवं प्रौद्यो0
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स0व0प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रख्यापित प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के चयन हेतु गाईड्लाईन्स आदेश संख्या ई– 3019/32-जी एस/2020, दिनांक 18.05.2021 एवं सपठित आदेश संख्या ई– 4229/ जी एस, दिनांक 02.07.2021 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्राध्यापक तथा सह–प्राध्यापक का चयन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा समिति द्वारा संवीक्षा के पश्चात योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार विश्वविद्यालय के नियम–परिनियमों के अनुसार गठित चयन समिति, जिसमें माननीय राज्यपाल द्वारा नामित दो या तीन बाह्य विशेषज्ञ जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के पर्यवेक्षक भी सम्मिलित होते है, के द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता एवं प्रदर्शन के आधार पर चयन किया गया। सह प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के पद हेतु चयन दो चरणों में सम्पन्न किया गया। **प्रथम चरण** शॉर्टलिस्टिंग का होता है जिसमें मा0 राज्यपाल के आदेश संख्या ई– 3019/32-जी एस/2020, दिनांक 18.05.2021 एवं सपठित आदेश संख्या ई– 4229/ जी एस, दिनांक 02.07.2021 के अनुसार एपीआई स्कोर की गणना की गयी। संवीक्षा समिति द्वारा एपीआई स्कोर की गणना के पश्चात उसे रिक्रूटमेंट पोर्टल पर प्रकाशित किया गया तथा यदि किसी अभ्यर्थी को उस पर कोई आपत्ति है तो आपत्ति ईमेल के माध्यम से प्रेषित करने के लिए सात (07) दिवस का समय दिया गया। आपत्तियों के निराकरण के पश्चात संसोधित एपीआई स्कोर पुनः रिक्रूटमेंट पोर्टल पर प्रकाशित किया गया था। उपरोक्त गणना के अनुसार समेकित मेरिट लिस्ट बनायीं गयी। उक्त मेरिट लिस्ट से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष एक पद हेतु अधिकतम 10 गुना तथा उसके बाद प्रत्येक पद हेतु अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम के आधार पर शॉर्टलिस्टि किया गया। शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को नियत तिथि पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया तथा

कुलपति
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स०व०प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया संपन्न करायी गयी। अन्तिम चयन केवल साक्षात्कार (20 अंकों) के आधार पर करने के उपरांत परिणाम बंद लिफाफा कुलपति महोदय को हस्तगत कर दिया गया। माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के चयन हेतु गाईड्लाईन्स आदेश संख्या ई– 3019/32-जी एस/2020, दिनांक 18.05.2021 एवं सपठित आदेश संख्या ई– 4229/ जी एस, दिनांक 02.07.2021 के अनुसार **सहायक प्राध्यापक** के पदों हेतु प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा समिति द्वारा संवीक्षा के उपरान्त योग्य अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली गयी। अभ्यर्थियों की UGC रेगुलेशन 2018 (रेगुलेशन संख्या F – 1 – 2 /2017 (EC / PS) के अपेंडिक्स II के टेबल संख्या 2 में दी गयी व्ययवस्था के अनुसार एकेडेमिक स्कोर (100 मार्क्स) तथा लिखित परीक्षा (40 मार्क्स) के योग के आधार पर समेकित मेरिट लिस्ट बनायीं गयी। संवीक्षा समिति द्वारा एपीआई स्कोर की गढ़ना के पश्चात उसे रिक्रूटमेंट पोर्टल पर प्रकाशित किया गया तथा यदि किसी अभ्यर्थी को उस पर कोई आपत्ति है तो आपत्ति ईमेल के माध्यम से प्रेषित करने के लिए सात दिवस का समय दिया गया। आपत्तियों के निराकरण के पश्चात संसोधित एपीआई स्कोर पुनः रिक्रूटमेंट पोर्टल पर प्रकाशित किया गया। लिखित परीक्षा का परिणाम भी विश्वविद्यालय के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर परीक्षा संचालित होने के दो दिवसों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर प्रकाशित किये गए। तथा किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो उसे ईमेल के माध्यम से प्रेषित करने के लिए तीन दिवस का समय दिया गया। प्राप्त अप्पतियों का निराकरण करके पुनः संशोधित लिखित परीक्षा का स्कोर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर प्रकाशित किया गया। उक्त मेरिट लिस्ट से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष एक पद हेतु अधिकतम 10 गुना तथा उसके बाद प्रत्येक पद हेतु

कुलपति
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स०व०प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट की वरीयता क्रम के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया तथा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया। अभ्यर्थियों का चयन 10 अंकों के साक्षात्कार तथा 20 अंकों के शिक्षण कौशल (कम्प्यूटर पर कार्य करने कि जानकारी तथा कक्षा के समक्ष प्रस्तुतीकरण) के आधार पर विश्वविद्यालय के नियम–परिनियम के अनुसार गठित चयन समिति, जिसमें माननीय राज्यपाल द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ भी सम्मिलित होते है, के द्वारा किया गया। माननीय राज्यपाल के उक्त आदेशों के अनुसार शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का 20 अंकों का शिक्षण कौशल (कम्प्यूटर पर कार्य करने कि जानकारी तथा कक्षा के समक्ष प्रस्तुतीकरण) तथा 10 अंकों का साक्षात्कार संपन्न कराया गया तथा इन्हीं 30 अंकों के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया गया।

उपर्युक्त पदों में से दिनांक 21.10.2024 को आयोजित होने वाली मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठक में कुल 29 पदों के लिफाफे खोले गये तथा संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न 28 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसमत्ति से किया गया तथा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति–पत्र निर्गत करने की अनुमति प्रदान की गयी। विश्वविद्यालय के कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के सह–प्राध्यापक, फूड प्रौसेस इंजीनिरिंग के एक (01) पद हेतु चयन समिति द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के आधार पर उपयुक्त नही पाया गया (NFS)।

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण / कुलसचिव)

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त मा0 सदस्यों द्वारा निम्नवत अभिमत व्यक्त किये गये:–

कुलपति
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स०व०प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

1. सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में डेयरी के क्षेत्र में उत्कृष्ठ अनुसंधान तथा वहां अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में समान जलवायु परिस्थितियां तथा दोनों क्षेत्रों में अन्य समानताओं के कारण मेरठ क्षेत्र में भी डेयरी तथा सम्बन्धित विषयों में अनुसंधान तथा रोजगार की असीम संभावनायें है। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रयास किया जाना उचित होगा।

(कार्यवाहीः निदेशक शोध/कुलसचिव)

2. श्री राजीव कुमार सिंह, मा0 विधायक एवं डा0 सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक, आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावासों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पी0पी0पी0 मॉडल पर भी छात्रावास तैयार कराने पर विचार किया जा सकता है।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

1. श्री राजीव कुमार सिंह, मा0 विधायक, जनपद–बदायूं द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद की 56वीं बैठक दिनांक 02.09. 2024 में विभिन्न विदेशी संस्थानों से किये गये एम0ओ0यू0 में इस प्रकार का खण्ड रखा जाने हेतु कहा गया था कि संदर्भित विदेशी संस्थानों में विश्वविद्यालय के कुलपति, कृषि वैज्ञानिक एवं मा0 सदस्यगण भी भ्रमण हेतु यात्रा–कार्यक्रम बना सके तथा इस पर होने वाले व्यय इत्यादि की स्वीकृति उ0प्र0 शासन से भी प्राप्त की

कुलपति
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स०व०प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

जाये। मा0 सदस्य द्वारा उक्त के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी कि जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि इस संदर्भ में कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

वित्त नियन्त्रक द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(पंकज कुमार चतुर्वेदी)
वित्त नियंत्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स०व०प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

अनुमोदित

(डा0 के0के0 सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद

कुलपति
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110